International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 08-05-2025, Accepted: 07-06-2025, Published: 23-06-2025
Volume 11, Issue 3, 2025, Page No. 118-120

बालश्रम समस्या एवं मानवाधिकारवादी परिप्रेक्ष्य

कविता चौधरी
सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग, विद्या संबल योजना, राजकीय कन्या महाविद्यालय बायतु, बालोतरा, राजस्थान, भारत

सारांश
बालश्रम एवं मानवाधिकारवादी अवधारणा समाज का अति संवेदनशील पहलू है क्योंकि बालक किसी राष्ट्र का भविष्य होता है। यदि उसके विकास की उन्नत स्थितियाँ पैदा नहीं की गई तो सम्पूर्ण देश का भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। सैद्धान्तिक रूप से बाल मानवाधिकारी का प्रतिपादन संवैधानिक एवं संविधानेत्तर संस्थाओं के माध्यम से किया गया है। लेकिन वर्तमान वैश्विकृत समय में बालश्रम एवं उनका उत्पीडन के आंकड़ों में निरन्तर वृद्धि होती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय, राज्य, अंतरराष्ट्रीय एवं सामाजिक सरोकार के अन्तर्गत इसके समापन के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। समय–समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। इसके बावजूद बालश्रम एवं उनके मानवाधिकारवादी व्यवस्थाओं का उल्लंघन निरन्तर दिखाई दे रहा है।

मूल शब्दः बाल मानवाधिकार, वैश्विक अभिसमय, राष्ट्रीय विधिक परिदृश्य

बालश्रमिक एवं मानवाधिकारों की अवधारणा समाज के संवेदनशील पहलू से व्यापक रूप से जुड़ी हुई क्योंकि बालश्रम की समस्या मानवाधिकारों के उल्लंघन की समस्या है। मानव ने अपने बौद्धिक, अध्यात्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ऐसे जीवन की कल्पना की जिसमें भय, दवाब, शोषण से मुक्त तथा ससम्मान जीवन निर्वाह कर सके। इस सम्पूर्ण व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राज्य एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राज्य एवं सरकार संगठन का विकास किया गया। मानव सामाजिक व्यवस्था का अंग बनकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तथा अपनी अर्न्तनिहित शक्तियों का विकास करता है। राज्य व्यक्ति अधिकारों को स्वीकार कर उन्हें मान्यता प्रदान करता है उसी से देश की सभ्यता संस्कृति की कसौटी का पता चलता है चूंकि राज्य का सर्वोत्तम उद्देश्य व्यक्ति का चहुँमुखी विकास करना है। लॉस्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ है जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता।[1]

मानवाधिकारों के सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य में अनेक अधिकारों को शामिल किया गया हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं जो समाज में उनके सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। ये अधिकार बालकों को भी समान रूप से प्राप्त होते है। आज बालक इन अधिकारों से वंचित है उनका अनेक प्रकार से शोषण सामाजिक और शासन व्यवस्था में दिखाई देता है। बालक मानव जीवन की नींव है बालक रूपी बीज से ही मानव वृक्ष का निर्माण होता है किसी राष्ट्र की भावी स्थिति का अनुमान वहाँ के बच्चों को देखकर लगाया जाता है क्योंकि ये आगे आने वाले भविष्य के कर्णधर होते है। मेमी जेने कोल की पंक्तियाँ स्पष्ट है मैं बच्चा हूँ, सारी दुनिया मेरे आने का इंतजार करती है। पूरी पृथ्वी अभिरुचि के साथ आशा करती है कि मैं क्या बनूँगा। सभ्यता अधर में लटकी हुई है। जो आज मैं हूँ दुनिया कल वहीं होगी। मैं बच्चा हूँ। आप अपनी मुठ्ठी में मेरा भविष्य नियंत्रित किये हुए है, बहुधा आप निर्धारित करते है कि मैं सफल होऊँगा या असफल। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वे चीजें जो सुखी बनाती है प्रदान करें ताकि मैं सारी दुनिया के लिए वरदान बन सकूँ।[2]

मानवाधिकार की अवधारणा अति प्राचीन है जो मानवीय सुख, गरिमा एवं विकास से जुड़ी हुई है यह राष्ट्रीय स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक हो गयी है। सर्वत्र इनकी मांग उठने लगी है ये विधिक मूल्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक कल्याण को सुनिश्चित करते है तथा शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार से बचाते है। यद्यपि मानवाधिकारों को परिभाषित करना सरल नहीं है क्योंकि मानवीय स्तर पर सामाजिक विभेद अधिक पाये जाते है, जैसे–भाषा, रंग, जाति, प्रजाति, धर्म के आधार पर इन सबके बावजूद भी सभी को मनुष्य होने के नाते अनिवार्य अधिकार मिले है ये ही मानवाधिकार है।[3]

विश्व के हर क्षेत्र में बालकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है इसके कारण वे अपने जीने के अधिकार, विकास और सुरक्षागत व्यवस्थाओं से वंचित हो जाते है और अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम उम्र में ही कार्य करने लग जाते है। इससे इन बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। खेलने की उम्र में ही श्रम करना पड़ता है विद्यालय से शिक्षा अर्जन की जगह फैक्ट्रियों एवं कारखानों में कार्य करना पड़ता है पर्याप्त भोजन, आवास और सुरक्षा का हमेशा अभाव बना रहता है। बचपन से मोहताज ये बच्चे कम उम्र में ही वयस्क जैसे दिखाई देने लगते है। यह स्थिति समाज, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर अधिक भयावह है। बाल श्रमिकों की अनवरत रूप से बढ़ती संख्या इनके मानवाधिकारों के प्रति अनायास ही ध्यान आकर्षित करती है। समसामयिक विश्व स्थिति में बालकों के अधिकार एक प्रासंगिक विषय है जिसे समाज, सरकार एवं गैरसरकारी संगठनों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए भरसक प्रभावशाली कार्य करना पड़ेगा अन्यथा इसके परिणाम गंभीर भुगतने होंगे। बीसवीं सदी के प्रारंभ में श्रमिक संगठनों का निर्माण हुआ। जिनके माध्यम से मजदूरी की आयु तय की गयी। 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालकों को श्रम पर न लगाये जाने की सिफारिश की गई।[4]

इसके अतिरिक्त वैश्विक संगठनों की अनेकों प्रकार की सिफारिशें श्रम क्षेत्र के नियोजन के संबंध में की गई। बालश्रम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक रूप से विद्यमान है इसके उन्मूलन के लिए देश में एवं देश से बहार विभिन्न मंचों पर चर्चाएँ की गई राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रमिकों के मानवाधिकारों की सुस्थापना हेतु प्रयास किये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासः औद्योगिक क्रांति की शुरूआत से सस्ते श्रम ने बालश्रम को बढ़ावा दिया जिसमें 12 से 14 घण्टे तक थकाऊ कार्य, बिना विश्राम के कम वेतन पर बालकों से कार्य करवाया जाने लगा जिसकी तरफ स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रगतिशील लेखकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संगठित प्रयास शुरू किये जिसमें

मुख्यता संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था ने 1946 में सामाजिक आयोग बनाकर कार्य प्रारंभ कर दिया तथा तत्पश्चात जिनेवा घोषणा पत्र का वैश्विक अवतरण करवाया। जिसमें कहा गया कि बालक को सामान्य विकास के लिए अपेक्षित साधन प्रदान करने चाहिए।[5] उसे भूख, प्यास, बीमारी में सहायता दी जाए, अपराधी बालक को सुधारा जाए, उसे प्रत्येक शोषण से मुक्त किया जाए ताकि वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके इस घोषणा को महासभा ने 1959 में अंगीकार कर लिया जिसे अभिसमय के तौर पर महासभा ने 1989 में एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज में बदल दिया। 1992 में भारत ने भी इसे अपनी मंजूरी प्रदान कर दी जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के हितों की सुरक्षा करना और उन्हें, बढ़ावा देना है।[6] इस तरह बचपन की एक नई परिभाषा बाल अधिकार समझौते में झलकती है यह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बाल अधिकारों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।[7] इसे वर्तमान में लगभग 159 देशों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। समझौते के माध्यम से बालकों की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुई और मजदूरी में लगने के रास्ते को रोकने का प्रयास किया।[8] संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट यह बताती है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत एवं चीन के पास सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के प्राप्ति की चाबी है क्योंकि बालश्रम का अधिकार इन्हीं देशों में अधिक है अतः इन्हें अपने यहाँ वर्ग विषमता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर अधिक सुनियोजित तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है यदि ऐसा नहीं किया गया तो बालकों के विकास के उचित अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होंगे और इन्हें जीवन के विकास, सुरक्षा एवं सहभागिता के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा जो उनका मानवाधिकार है। [9] यूनिसेफ द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर बाल श्रमिकों के पुनर्वास, विशेष विद्यालय, पुनर्वास सह कल्याण केन्द्रों की स्थापना के कार्यक्रम लगभग 138 देशों में चलाये जा रहे है। यह एक अर्द्ध स्वायत्त एजेंसी है जो बच्चों की देखभाल एवं विकास संबंधी वार्षिक रिपोर्ट का प्रतिवर्ष प्रकाशन करती है जिसमें प्राथमिक शिक्षा इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग, सरकारी बालश्रम कानूनों की समीक्षा, राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन के तहत् चलाये जाने वाले विशेष विद्यालयों में नामांकन की सुनिश्चित तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक रूपरेखा तय की जाती है। बाल पोषण पर यूनिसेफ की रिपोर्ट में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे भारत में बताये गये है।[10] इसके अतिरिक्त बालश्रम उन्मूलन के प्रयास 1992 में आइपैक इन्टरनेशनल प्रोग्राम फॉर ऐलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर चलाया जा रहा है। जो कि एक स्वायत्तशासी संगठन है। अमेरिका श्रम मंत्रालय द्वारा बाल मजदूरी उन्मूलन परियोजना भारत में चलायी जा रही है। जिसमें खतरनाक उद्योगों को चर्चित कर वहाँ बाल मजदूरों के पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परियोजना में भारत के पाँच राज्य शामिल है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली। 1992 में कोलम्बो में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन ने क्षेत्रीय सहयोग से बालश्रम समाप्ति पर जोर दिया गया। एक्स्टन सम्मेलन (फरवरी 2011), ओसिया सम्मेलन (2012) तथा स्टाकहोम सम्मेलन प्रमुख है। विश्व बैंक द्वारा भी बालश्रम उन्मूलन की दिशा में रचनात्मक कार्य किये जा रहे है।

राष्ट्रीय प्रयास: भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एवं वर्तमान तक अनेकों अधिनियम बनाये गये ताकि इस समस्या को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। कारखाना अधिनियम, 1881, खान अधिनियम, 1901, कारखाना संशोधित अधिनियम, 1911, भारतीय खान अधिनियम, 1926, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1931, चाय जिला प्रवासी अधिनियम, 1931, बाल श्रमिक बंधक अधिनियम, 1933, भारतीय खनन कानून, 1935, बाल नियोजन अधिनियम, 1938, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण एवं बालश्रम उन्मूलन हेतु विभिन्न अधिनियमों को पारित किया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में कार्य नियोजन को लेकर बालकों के द्वारा श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रावधान वर्णित किया गया। संविधान का अनुच्छेद–23 में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य बलात् श्रम निषेधित किया गया है। अनुच्छेद–24 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान व अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है साथ ही अनुच्छेद– 21 (क) में वर्णित किया गया है कि राज्य 6–14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा अनुच्छेद–39(ड) राज्य बालकों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा वे आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर ऐसा कार्य न करें जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो। अनुच्छेद–39 (च) बालकों को विकास की स्वतंत्रता एवं गरिमामय सुविधाएँ प्रदान की जायेगी ताकि उन्हें शोषण, नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से बचाया जा सके।[11] संसद ने समय–समय पर बालश्रम निषेध को लेकर अनेकों अधिनियमों का निर्माण किया जैसे– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952, कारखाना संशोधित अधिनियम, 1954, वाणिज्य जहाजरानी अधिनियम, 1958, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, एंप्रेटिंस अधिनियम, 1961, बीडी एवं सिगार कामगार अधिनियम, 1966, भारत की राष्ट्रीय बाल नीति, 1974, बाल नियोजन संसोधित अधिनियम, 1978, खतरनाक मशीन विनिमय, अधिनियम, 1983, बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनिमय) अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय बालश्रम नीति, 1987, राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन प्राधिकरण, 1994, किशोर न्याय अधिनियम, 2000, समेकित बाल सुरक्षा योजना, 2006, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून, 2009, बालश्रम संशोधन कानून, 2012, आदि प्रमुख है इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णयों ने भी बालश्रम उन्मूलन की दिशा में सहयोगात्मक एवं प्रभावी कदमों का निर्माण किया जैसे–लेबर ऑफ सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाम स्टेट ऑफ जे. एण्ड के वाद, एस.सी. मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उन्नीकृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश, शीला बनाम बनाम भारत संघ[12] आदि वादों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर बालश्रम की रोकथाम हेतु आदेश जारी किये गये उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना में भारत साहसी, पराक्रमी बालकों से परिलक्षित होता है, उनकी कल्पना एक ऐसे बालक की रही जिसे समुचित शिक्षा मिले, उसकी शोषण से रक्षा हो, सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध हो, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारा देश बालश्रम के दुष्चक्र में उलझा हुआ है। बालश्रम हमारे देश की एक गंभीरतम समस्या है।[13] बालश्रम समस्या एवं उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेकों समितियों का गठन किया गया जैसे–1944 श्रम अनुसंधान समिति (रेगे समिति) जिसने औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों पर प्रकाश डालते हुए राय दी कि सरकार को औद्योगिक नियोजन से बालकों को पूर्णतया हटा देना चाहिए।[14] प्रमुख समिति गुरुपद दास स्वामी, समिति, 1979 में बनी जिसने, बालकों के स्वास्थ्य, कार्य के घण्टे, अवकाश, उचित वेतन, संबंधित औद्योगिक सुरक्षा उपकरण आदि के बारे में राय प्रकट की और बाल नियोजन उल्लंघन पर जुर्माना एवं सजा का प्रावधान बनाने पर जोर दिया।[15]

निष्कर्ष

मानवाधिकार एवं बाल अधिकारों के लिए कानून निर्माण का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय के साथ हुआ। भारत में भी इस दिशा में अनेकों प्रयास किये जा रहे है लेकिन इन प्रयासों और कानूनों की जानकारी का समुचित अभाव अभी भी परिलक्षित हो रहा है

यद्यपि जनसमुदाय, स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी एवं अन्य सामूहिक प्रयासों के माध्यमों से मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार एवं बालश्रम उन्मूलन के प्रभावी कदम उठाने होंगे क्योंकि बालकों के समुचित प्रभावशाली विकास पर ही देश का भविष्य टिका हुआ है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, अथर्ववेद, कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में विभिन्न बाल मानवाधिकारों का उल्लेख मिलता है जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि 'कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं है, सभी लोग सभी के हितों के लिए समान प्रयास करें तथा सभी सामूहिक रूप से प्रगति करें, भोजन और जल पर सभी का समान अधिकार है।'

संदर्भ सूची

1. सुधारानी श्रीवास्तव, मानवाधिकारवादी अवधारणाएँ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2000, पृष्ठ 2
2. रमेश प्रसाद गौतम, पृथ्वीपाल सिंह, भारत में मानवाधिकार विश्वविद्यालय प्रकाशन, सागर, मध्यप्रदेश, 2001, पृष्ठ सं. 7
3. जे.सी. जौहरी, ह्यूमन राइट एण्ड न्यू वर्ल्ड आर्डर, अनमोल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ सं. 2
4. मनोज कुमार दशोरा, बालश्रमिक समस्या एवं समाधान, पृष्ठ संख्या 47
5. जय जय राम उपाध्याय, मानवाधिकार सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2007, पृष्ठ संख्या 338
6. रवि प्रकाश यादव बालश्रम समस्या एवं समाधान, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, 2008, पृष्ठ संख्या 89
7. दुनिया के बच्चों की स्थिति 2005 यूनिसेफ, नई दिल्ली, दिसम्बर 2004, पृष्ठ संख्या 4
8. रवि प्रकाश यादव बालश्रम समस्या समाधान, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 90
9. सुभाष शर्मा भारत में बाल मजदूर, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ संख्या 44
10. श्रीनाथ शर्मा बालश्रम, अमन प्रकाशन, सागर, मध्यप्रदेश, 2007, पृष्ठ संख्या 32
11. सुशिला कौशिक, भारतीय शासन एवं राजनीति, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1985, पृष्ठ–181
12. उषा सिंह व एच.पी. सिंह, सामाजिक परिवर्तन के विविध आयाम, अर्जुन, पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ 64
13. सुभाष शर्मा भारत में बाल मजदूर, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ संख्या, 91
14. मंजू पाण्डे भारत में बालश्रमिक, मानक पब्लिकेशंस, दिल्ली, 1998, पृष्ठ सं. 86.87
15. गोस्वामी भालचंद, हतभागा बचपन, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2008, पृष्ठ संख्या 97